उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग-3
संख्या-75/2020/1041/26-3-2020
लखनऊ: दिनांक: 31 मार्च 2020
कार्यालय ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत संलग्नक में अंकित लेखाशीर्षक-2013, 2025 एवं 2235 के अन्तर्गत योजनावार उनके सम्मुख अंकित मदों में कुल प्राविधानित धनराशि रू0-481800.01 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0-13924.66 लाख (रू0-एक अरब उन्तालीस करोड़ चैबीस लाख छाछठ हजार मात्र) की बचत को एतदद्वारा वित्त विभाग को समर्पित किया जाता है।

संलग्नक-यथोक्त

सतीश कुमार
अनुसचिव

संख्या-ई-4-325 बी/दस-2020 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं महालेखाकार (आडिट)प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत संलग्नक में अंकित विवरण के अनुसार लेखाशीर्षक के अन्तर्गत योजनावार उनके सम्मुख अंकित मदों में -''2013, 2225 एवं 2235 के अन्तर्गत योजनावार उनके सम्मुख अंकित मदों में कुल प्राविधानित धनराशि रू0-481800.01 लाख के सापेक्ष रू0-13924.66 लाख (रू0-एक अरब उन्तालीस करोड़ चैबीस लाख छाछठ हजार मात्र) की बचत की धनराशि वित्त विभाग में पुर्नग्रहीत कर ली गयी है।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

राम रतन
उप सचिव

पृ0सं0-75/2020/1041(1)/26-3-2020-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
3-वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
4-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्यालय ज्ञाप संख्या–25/2020/1641/26–3–2020 दिनांक–31.03.2020 का संलग्नक वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक प्राविधान के सापेक्ष समपर्ण का विवरण

अनुदान संख्या–80 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में लेखाशीर्षक 2013–मंत्री परिषद, लेखाशीर्षक–2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण का अन्तिम व्यायाधिक्य बचत/समर्पण का विवरण

लेखाशीर्षक/मानक मद/योजना	आय–व्ययक प्राविधान 2019-20	बचत	अभ्युक्ति
1	2	3	4
राजस्व लेखा			
2013–मंत्री परिषद			
105–मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान			
03–समाज कल्याण मंत्री द्वारा विवेकाधीन अनुदान			
42–अन्य व्यय	0.36	0.36	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
योग–105	0.36	0.36	
योग–2013	0.36	0.36	
2225–अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
01–अनुसूचित जातियों का कल्याण			
001–निदेशन तथा प्रशासन			
03–मुख्यालय अधिष्ठान			
01–वेतन	1072.00	29.88	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
02–मजदूरी	6.00	0.09	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
03–महंगाई भत्ता	160.80	0.22	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
04–यात्रा व्यय	10.00	0.04	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.50	0.00	
06–अन्य भत्ते	1.10	0.00	
07–मानदेय	0.25	0.07	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
08–कार्यालय व्यय	80.00	0.05	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
09–विद्युत देय	42.00	19.15	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

10-जलकर/जलप्रभार	10.00	3.13	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात बचत
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	25.85	0.00	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात बचत
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10.00	0.24	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात बचत
13-टेलीफोन पर व्यय	4.50	0.38	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात बचत
15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	54.00	1.17	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात बचत
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	30.00	4.98	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात बचत
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	10.50	3.50	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात बचत
18-प्रकाशन	2.00	2.00	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात बचत
29-अनुरक्षण	12.00	2.15	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात बचत
42-अन्य व्यय	5.00	0.07	पत्रांक-40/2020/[illegible]/20-3-2020, दि0 24.03.2020 द्वारा प्रस्तावित अधिष्ठान के मानक मद-44-प्रशि0 हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय की बचत से रु0 8.34 लाख [illegible]
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	10.00	1.56	पत्रांक-40/2020/[illegible]/20-3-2020, दि0 24.03.2020 द्वारा प्रस्तावित अधिष्ठान के मानक मद-42-अन्य व्यय में रु0 8.34 लाख [illegible] प्रशिक्षण न होने के पश्चात बचत
45-अवकाश यात्रा व्यय	5.00	5.00	[illegible]
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	25.00	0.52	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात बचत
49-चिकित्सा व्यय	40.00	3.96	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात बचत
51-वर्दी	0.80	0.63	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात बचत
52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (वेतनादि)	70.00	0.04	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात बचत
53-मकान किराया भत्ता	81.81	0.00	
55-नगर प्रतिकर भत्ता	14.20	1.09	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात बचत
59-अन्तर्राज्यीय सेवाओं हेतु भुगतान	15.2	6.50	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात बचत
योग :- 03	**1799.09**	**85.31**	
04- क्षेत्रीय कार्यालयों का अधिष्ठान			
01-वेतन	800.00	32.74	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात बचत
03-महंगाई भत्ता	90.00	1.80	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात बचत
04-यात्रा व्यय	5.60	2.63	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात बचत
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2.00	1.00	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात बचत
06-अन्य भत्ते	6.00	4.68	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात बचत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

07-मानदेय	0.15	0.13	आवश्यकतानुसार व्यय से समायोजन [illegible]
08-कार्यालय व्यय	52.47	13.11	आवश्यकतानुसार व्यय से समायोजन [illegible]
09-विद्युत देय	33.00	21.07	आवश्यकतानुसार व्यय से समायोजन [illegible]
10-जलकर/जलप्रभार	2.75	2.00	आवश्यकतानुसार व्यय से समायोजन [illegible]
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	25.65	14.89	आवश्यकतानुसार व्यय से समायोजन [illegible]
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	6.05	1.96	आवश्यकतानुसार व्यय से समायोजन [illegible]
13-टेलीफोन पर व्यय	8.00	2.62	आवश्यकतानुसार व्यय से समायोजन [illegible]
15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	64.80	18.75	आवश्यकतानुसार व्यय से समायोजन [illegible]
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	4.00	3.50	आवश्यकतानुसार व्यय से समायोजन [illegible]
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	25.60	6.14	आवश्यकतानुसार व्यय से समायोजन [illegible]
42-अन्य व्यय	0.50	0.50	शासनादेश-155/2016/2194/26-3-2016 दि0 30.03.2016 द्वारा लेखाशीर्षक 2225-02-104-04-00 [illegible] अधिष्ठान के मानक मद-01 वेतन मद में रू0 22.13 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त हुआ।
45-अवकाश यात्रा व्यय	2.00	2.00	[illegible]
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	23.10	9.93	आवश्यकतानुसार व्यय से समायोजन [illegible]
49-चिकित्सा व्यय	7.70	1.17	आवश्यकतानुसार व्यय से समायोजन [illegible]
51-वर्दी	0.60	0.47	आवश्यकतानुसार व्यय से समायोजन [illegible]
52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (एरियर)	44.80	0.98	आवश्यकतानुसार व्यय से समायोजन [illegible]
53-मकान किराया भत्ता	31.00	0.00	
56-नगर प्रतिकर भत्ता	3.10	0.00	
58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	10.00	3.72	आवश्यकतानुसार व्यय से समायोजन [illegible]
योग-04 :-	**1046.67**	**146.05**	
05-जिला कार्यालय का अधिष्ठान -			
01-वेतन	3060.80	600.42	शासनादेश 345/2016/4717/26-3-2016 दि0 [illegible] 2016 द्वारा [illegible] अधिष्ठान के मानक मद-49 चिकित्सा व्यय में रू0 73.36 लाख तथा शासनादेश-49/2020/925/26-3-2020 दि0 24.03.2020 द्वारा [illegible] अधिष्ठान के मानक मद-09 विद्युत व्यय में रू0 [illegible] लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से [illegible] हुआ
03-महगाई भत्ता	596.47	59.07	आवश्यकतानुसार व्यय से समायोजन [illegible]

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

04-यात्रा व्यय	36.65	22.32	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	11.55	2.09	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
06-अन्य भत्ते	5.00	0.00	
07-मानदेय	1.50	1.02	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
08-कार्यालय व्यय	240.20	3.14	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
09-विद्युत देय	58.00	11.67	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
10-जलकर/जलप्रभार	3.40	1.84	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	44.65	3.92	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	20.61	1.23	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
13-टेलीफोन पर व्यय	15.00	5.42	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	225.00	14.93	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	6.00	1.62	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	9.50	0.00	
42-अन्य व्यय	5.53	0.68	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	7.75	7.75	मांग प्राप्त न होने के कारण
45-अवकाश यात्रा व्यय	10.75	10.75	मांग प्राप्त न होने के कारण
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	11.00	0.11	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	67.10	1.18	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
49-चिकित्सा व्यय	33.00	15.00	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
51-वर्दी	3.10	3.10	मांग प्राप्त न होने के कारण
52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	276.68	37.48	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
55-मकान किराया भत्ता	201.00	33.30	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
56-नगर प्रतिकर भत्ता	63.00	43.38	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	8.00	4.65	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
योग-05 :-	**5929.45**	**868.15**	
योग-001-	**8776.21**	**1119.51**	
102-आर्थिक विकास			
03-औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों से प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु निजी उद्यम प्रोत्साहन योजना			

01–वेतन	107.25	33.49	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात बचत
03–महंगाई भत्ता	16.09	3.86	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात बचत
04–यात्रा व्यय	0.30	0.21	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात बचत
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50	0.50	मांग प्राप्त न होने के कारण
06–अन्य भत्ते	0.50	0.37	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात बचत
07–मानदेय	0.50	0.50	मांग प्राप्त न होने के कारण
08–कार्यालय व्यय	0.90	0.72	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात बचत
09–विद्युत देय	1.10	1.10	मांग प्राप्त न होने के कारण
10–जलकर/जलप्रभार	0.22	0.22	मांग प्राप्त न होने के कारण
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.45	0.33	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात बचत
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.45	0.45	मांग प्राप्त न होने के कारण
46–अवकाश यात्रा व्यय	0.30	0.30	मांग प्राप्त न होने के कारण
49–चिकित्सा व्यय	0.60	0.60	मांग प्राप्त न होने के कारण
51–वर्दी	0.05	0.05	मांग प्राप्त न होने के कारण
52– पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्यांश)	7.29	0.66	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात बचत
55–मकान किराया भत्ता	7.00	3.88	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात बचत
56–नगर प्रतिकर भत्ता	1.33	1.00	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात बचत
59–आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2.00	2.00	मांग प्राप्त न होने के कारण
योग–03 :–	**146.83**	**50.04**	
277–शिक्षा			
03–औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन			
01–वेतन	652.20	32.82	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात बचत
03–महंगाई भत्ता	97.83	0.00	
04–यात्रा व्यय	0.75	0.36	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात बचत
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.60	0.50	मांग प्राप्त न होने के कारण
06–अन्य भत्ते	1.00	0.00	
07–मानदेय	6.60	0.30	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात बचत
08–कार्यालय व्यय	31.48	7.83	मांग प्राप्त न होने के कारण
09–विद्युत देय	96.00	20.60	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात बचत
10–जलकर/जलप्रभार	3.00	3.00	मांग प्राप्त न होने के कारण

11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1.32	0.00	
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4.68	0.18	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
13-टेलीफोन पर व्यय	0.75	0.54	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1.00	0.50	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1.25	1.25	मांग प्राप्त न होने के कारण
21-छात्रवृत्तियाँ और छात्रवेतन	2.70	2.70	मांग प्राप्त न होने के कारण
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	3.30	0.98	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
29-अनुरक्षण	3.56	0.42	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
39-औषधि तथा रसायन	1.10	0.30	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
42-अन्य व्यय	0.77	0.08	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	1.43	0.20	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
46-अवकाश यात्रा व्यय	3.00	3.00	मांग प्राप्त न होने के कारण
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2.75	0.15	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
49-चिकित्सा व्यय	5.60	0.46	शासनादेश संख्या-26/2020/286/26-1-2020 दिनांक 17.02.2020 द्वारा लेखाशीर्षक [illegible] [illegible] शासकीय स्टाफ की वास्तविक अधिष्ठान के सापेक्ष मद-01 वेतन की बचत से पुनर्विनियोग रू. [illegible] लाख प्राप्त।
51-वर्दी व्यय	0.20	0.08	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप
52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	37.94	0.01	शासनादेश संख्या-26/2020/286/26-1-2020 दिनांक 17.02.2020 द्वारा लेखाशीर्षक [illegible] [illegible] शासकीय स्टाफ की वास्तविक अधिष्ठान के सापेक्ष मद-01 वेतन की बचत से रू. [illegible] लाख प्राप्त।
55-मकान किराया भत्ता	34.00	0.00	शासनादेश संख्या-26/2020/286/26-1-2020 दिनांक 17.02.2020 द्वारा लेखाशीर्षक [illegible] [illegible] शासकीय स्टाफ की वास्तविक अधिष्ठान के सापेक्ष मद-01 वेतन की बचत से रू. [illegible] लाख प्राप्त।
58-नगर प्रतिकर भत्ता	10.00	2.63	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

59-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	5.00	0.86	शासनादेश संख्या-26/2020/386/26-3-2020 दिनांक 17.02.2020 द्वारा [illegible] 2020-01-753-03-03 [illegible]
योग 03 :-	**975.88**	**80.02**	
04-अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास			
01-वेतन	1850.13	162.72	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
02-मजदूरी	22.00	0.01	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
03-महंगाई भत्ता	277.52	10.62	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
04-यात्रा व्यय	3.30	1.26	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.10	0.88	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
06-अन्य भत्ते	3.00	0.46	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
07-मानदेय	1.50	1.50	मांग प्राप्त न होने के कारण
08-कार्यालय व्यय	17.60	0.22	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
09-विद्युत देय	660.00	178.70	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
10-जलकर/जलप्रभार	5.00	0.00	
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	8.32	1.31	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	23.10	0.68	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
13-टेलीफोन पर व्यय	0.80	0.65	मांग प्राप्त न होने के कारण
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3.00	3.00	मांग प्राप्त न होने के कारण
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	2.20	0.00	
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	33.00	0.02	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
29-अनुरक्षण	44.00	2.17	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
42-अन्य व्यय	28.60	0.71	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
45-अवकाश यात्रा व्यय	9.00	9.00	मांग प्राप्त न होने के कारण
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	3.60	3.60	मांग प्राप्त न होने के कारण
49-चिकित्सा व्यय	13.20	2.61	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
51-वर्दी	1.00	0.43	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	120.78	16.86	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात बचत
53-मकान किराया भत्ता	100.60	21.76	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात बचत
56-नगर प्रतिकर भत्ता	23.50	14.65	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात बचत
59-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	48.40	4.30	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात बचत
योग 04 :-	**3311.46**	**437.86**	
07-विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति के वर्तमान पुस्तकालयों छात्रावासों और पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार (विशेष)			
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	300.00	179.43	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात बचत
31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	20114.82	1717.16	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात बचत
53- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	1200	69.04	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात बचत
योग 07 :-	**21614.82**	**1965.62**	
08-ज्योतिबा राव फूले [illegible] आश्रम पद्धति विद्यालय			
01-वेतन	1982.28	155.75	शासनादेश संख्या-475/2019/2196/28-3-2019 दिनांक 04.07.2019 द्वारा प्रशासनिक अधिष्ठान के मानक मद-36 व 56 में क्रमशः रू0 103.58 लाख तथा रू0 31.22 लाख कुल रू0 134.80 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत। शासनादेश संख्या-472/2019/2185/28-3-2019 दिनांक 04.07.2019 द्वारा लेखाशीर्षक-2225-01-277 13-00 अनुसूचित जातियों के लिए राज्य सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना अधिष्ठान के मानक मद-42 व 56 में क्रमशः रू0 7.36 लाख तथा रू0 1.96 लाख कुल रू0 9.32 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत।
02-मजदूरी	22.00	2.90	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात बचत
03-महगाई भत्ता	297.34	15.50	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात बचत
04-यात्रा व्यय	6.50	3.06	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात बचत
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	3.00	2.24	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात बचत
06-अन्य भत्ते	0.00	0.00	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात बचत
07-मानदेय	6.00	6.00	बिल प्राप्त न होने के कारण
08-कार्यालय व्यय	17.60	0.00	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात बचत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

09-विद्युत देय	560.00	158.93	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
10-जलकर/जलप्रभार	5.00	5.00	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	5.96	2.07	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	19.36	1.88	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	20.00	20.00	मांग प्राप्त न होने के कारण
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	5.50	5.50	मांग प्राप्त न होने के कारण
19-विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय	10.00	2.84	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
29-अनुरक्षण	16.50	1.10	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
39-औषधि तथा रसायन	13.20	4.47	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
41-भोजन व्यय	363.00	62.36	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
42-अन्य व्यय	3.30	0.44	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	187.00	3.94	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
45-अवकाश यात्रा व्यय	5.00	5.00	मांग प्राप्त न होने के कारण
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1.50	0.41	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
49-चिकित्सा व्यय	15.00	3.09	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
51-वर्दी	0.60	0.50	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (बकाया)	134.76	28.61	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
55-मकान किराया भत्ता	0.00	39.33	शासनादेश संख्या-170/2019/2186/26-3-2019 दिनांक 04.07.2019 द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त की मानक मद-01 वेतन की बचत से पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 [illegible] लाख प्राप्त हुआ।
56-नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	26.52	शासनादेश संख्या-170/2019/2186/26-3-2019 दिनांक 04.07.2019 द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त की मानक मद-01 वेतन की बचत से पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 [illegible] लाख प्राप्त हुआ।
58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	270.00	68.54	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
योग 09 :-	**3961.10**	**625.96**	
13-अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिए राज्य सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना			
01-वेतन	122.40	33.05	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

03-महंगाई भत्ता	16.36	4.50	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
04-यात्रा व्यय	0.40	0.33	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50	0.08	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
06-अन्य भत्ते	1.00	0.70	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
07-मानदेय	30.00	4.57	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
08-कार्यालय व्यय	4.00	1.01	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
09-विद्युत देय	50.00	17.82	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
10-जलकर/जलप्रभार	120.00	106.39	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3.30	1.14	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5.50	3.30	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
13-टेलीफोन पर व्यय	0.50	0.48	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	5.00	4.50	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	54.25	26.17	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	10.00	0.10	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1.00	0.33	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
29-अनुरक्षण	1.10	0.23	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
41-भोजन व्यय	35.00	4.21	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
42-अन्य व्यय	0.50	0.27	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	4.85	1.00	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
45-अवकाश यात्रा व्यय	0.50	0.50	मांग प्राप्त न होने के कारण
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का व्यय	1.10	0.48	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
49-चिकित्सा व्यय	2.00	0.96	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
51-वर्दी	0.20	0.20	मांग प्राप्त न होने के कारण
52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	5.98	0.19	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
55-मकान किराया भत्ता	0.00	1.31	शासनादेश संख्या-1/2/2016/2185/28-3-2016 दिनांक 04.07.2016 द्वारा [illegible]-2225-01-277-09-00 [illegible] से [illegible] पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

36-नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.97	शासनादेश संख्या-172/2016/2166/33-3-2016 दिनांक [illegible] द्वारा लेखाशीर्षक-2225-01-277-03-30 [illegible]
58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	10.00	2.02	आवश्यकतानुसार व्यय [illegible]
योग-13 :-	488.44	217.20	
07-छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ की स्थापना			
01-वेतन	93.00	34.08	
02-मजदूरी	1.25	2.25	
03-महंगाई भत्ता	13.95	1.52	
04-यात्रा व्यय	1.00	0.69	
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.25	0.25	
06-अन्य भत्ते	0.50	0.48	
08-कार्यालय व्यय	10.00	-1.19	
09-विद्युत देय	26.00	0.00	
10-जलकर/जलप्रभार	10.00	2.38	
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3.50	1.20	
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.00	0.00	
13-टेलीफोन पर व्यय	1.50	0.01	
15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	5.50	0.00	
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1.00	0.59	
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	10.00	1.59	
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.00	0.00	
29-अनुरक्षण	10.00	0.00	
35-औषधि तथा रसायन	0.50	0.03	
42-अन्य व्यय	0.00	0.00	
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	1.00	0.00	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	**2.00**	2.00	
45-अवकाश यात्रा व्यय	**1.00**	1.00	
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	**6.00**	0.01	
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	**2.50**	0.02	
48-चिकित्सा व्यय	**2.60**	2.13	
52- [illegible] बिल का अग्रिम ([illegible])	**7.00**	0.01	
55-मकान किराया भत्ता	**7.20**	1.90	
56-नगर प्रतिकर भत्ता	**1.50**	0.57	
59-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	**60.00**	5.44	
योग-01	**279.65**	**36.46**	
19-अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति			
21-छात्रवृत्तियाँ और छात्रवेतन	**73000.00**	0.00	
20-मैला उठाने, कच्चा उतारने जैसे व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के दशमपूर्व कक्षाओं (कक्षा-1 से 10 तक) अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति			
21-छात्रवृत्तियाँ और छात्रवेतन	100.00	100.00	रु0 100.00 लाख की धनराशि के स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण
योग-277 :-	**103735.34**	**3462.82**	
793-अनुसूचित जाति की संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता			
03-जनपद/तहसील/विकास खण्ड स्तर पर शासकीय स्टाफ की व्यवस्था			
01-वेतन	6497.30	2971.26	शासनादेश संख्या-28/2020/286/26-3-2020 दिनांक 17.02.2020 द्वारा लेखाशीर्षक 2225-01-277-03-03 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन अधिष्ठान के मानक मद-43, 52, 56, 58 में क्रमशः रु0 16.34 लाख, रु0 4.58 लाख, रु0 22.50 लाख, रु0 4.00 लाख कुल रु0 45.42 लाख पुनर्विनियोग से व्यय के स्वीकृत।
03-महंगाई भत्ता	974.60	416.14	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
04-यात्रा व्यय	30.80	17.27	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत

05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	5.60	0.00	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
06-अन्य भत्ते	20.00	11.61	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
07-मानदेय	0.15	0.15	मांग प्राप्त न होने के कारण
08-कार्यालय व्यय	9.52	0.00	
09-विद्युत देय	5.00	4.08	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
10-जलकर/जलप्रभार	0.50	0.50	मांग प्राप्त न होने के कारण
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2.86	0.43	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4.40	0.22	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	125.00	42.31	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1.50	0.50	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
42-अन्य व्यय	2.90	0.43	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
45-अवकाश यात्रा व्यय	5.65	5.65	मांग प्राप्त न होने के कारण
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2.20	0.15	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
49-चिकित्सा व्यय	30.00	2.74	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
51-वर्दी	0.80	0.80	मांग प्राप्त न होने के कारण
52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजपत्रित)	441.71	108.21	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
55-मकान किराया भत्ता	310.00	165.09	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
56-नगर प्रतिकर भत्ता	100.22	89.94	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	10.00	9.50	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
योग-03 :-	**8580.91**	**3846.88**	
04-सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान			
01-वेतन	50.00	24.36	
03-महंगाई भत्ता	7.60	2.36	
04-यात्रा व्यय	0.40	0.40	
06-अन्य भत्ते	4.00	3.60	
07-मानदेय	0.20	0.16	
08-कार्यालय व्यय	0.75	0.75	
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.75	0.75	
15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल	1.50	0.91	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

आदि की खरीद			
45-अवकाश यात्रा व्यय	1.00		
49-चिकित्सा व्यय	1.00	1.00	
51-वर्दी	0.30	0.30	
52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	4.00	1.31	
55-मकान किराया भत्ता	2.35	0.02	
56-नगर प्रतिकर भत्ता	0.40	0.14	
योग-04 :-	**73.96**	**36.84**	
योग-793	**8654.86**	**3683.72**	
07-अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग			
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	58.50	73.18	
31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	336.80	166.63	
52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता)	34.00	0.18	
योग-07 :-	**849.30**	**251.99**	
योग-800	**849.30**	**251.99**	
योग-01 :-	**121761.54**	**9768.08**	
80-सामान्य			
102-शैक्षिक संस्थाओं को अनुदान			
03-डा0अम्बेडकर जन्म शताब्दी फाउण्डेशन की स्थापना			
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	2.80	2.80	रू0 2.80 लाख की धनराशि में स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण
21-छात्रवृत्तियाँ और छात्रवेतन	12.00	12.00	रू0 12.00 लाख की धनराशि में स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण
योग-03 :-	**14.80**	**14.80**	
800-अन्य व्यय			
03-शैक्षिक कार्यक्रम			
0001-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन मूल योजना (विमुक्त जाति)			
01-वेतन	857.54	374.58	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
02-मजदूरी	2.00	0.25	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

03-महंगाई भत्ता	126.63	53.25	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
04-यात्रा व्यय	2.00	1.25	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50	0.50	मांग प्राप्त न होने के कारण
06-अन्य भत्ते	1.00	0.10	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
07-मानदेय	0.05	0.05	मांग प्राप्त न होने के कारण
08-कार्यालय व्यय	4.02	0.30	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
09-विद्युत देय	14.30	7.60	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
10-जलकर/जलप्रभार	1.00	0.00	मांग प्राप्त न होने के कारण
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1.65	0.42	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.32	0.21	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1.00	1.00	मांग प्राप्त न होने के कारण
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	2.00	2.00	मांग प्राप्त न होने के कारण
29-अनुरक्षण	3.50	0.06	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
39-औषधि तथा रसायन	2.25	0.06	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
41-भोजन व्यय	200.00	158.84	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
42-अन्य व्यय	0.60	0.20	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	80.00	32.50	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
45-अवकाश यात्रा व्यय	1.00	1.00	मांग प्राप्त न होने के कारण
49-चिकित्सा व्यय	2.50	0.08	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
51-वर्दी	0.10	0.08	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (वास्तविक)	58.30	20.95	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
55-मकान किराया भत्ता	50.00	23.76	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
56-नगर प्रतिकर भत्ता	10.00	6.96	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
59-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1.00	1.00	मांग प्राप्त न होने के कारण
योग-01 :-	**1426.46**	**687.22**	
0302-विमुक्त जातियों के छात्रों हेतु छात्रावासों तथा आश्रम पद्धति विद्यालयों के संचालन के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान			
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	400.00	0.52	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
योग-03 :-	**1826.46**	**687.74**	
05-आर्थिक उत्थान			

0801–राजकीय उन्नयन समितियों का अनुदान			
01-वेतन	202.13	129.21	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
03–महंगाई भत्ता	30.32	18.06	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
04–यात्रा व्यय	0.40	0.34	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50	0.50	मांग प्राप्त न होने के कारण
06–अन्य भत्ते	1.00	0.39	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
07–मानदेय	0.50	0.50	मांग प्राप्त न होने के कारण
08–कार्यालय व्यय	0.55	0.35	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
09–विद्युत देय	1.50	0.86	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
10–जलकर / जलप्रभार	1.00	1.00	मांग प्राप्त न होने के कारण
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.86	0.48	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.33	0.23	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
17–किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	0.20	0.20	मांग प्राप्त न होने के कारण
29–अनुरक्षण	1.00	0.60	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
43–अवकाश यात्रा व्यय	1.00	1.00	मांग प्राप्त न होने के कारण
49–चिकित्सा व्यय	1.20	1.20	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
51–वर्दी	0.03	0.03	मांग प्राप्त न होने के कारण
52– पुनरीक्षित वेतन का अवशेष ([illegible])	13.74	6.50	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
55–मकान किराया भत्ता	13.00	7.77	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
56–नगर प्रतिकर भत्ता	3.00	2.24	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
योग–01 :–	**272.06**	**171.44**	
0903-विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र			
01–वेतन	26.23	16.45	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
03–महंगाई भत्ता	3.93	2.57	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
04–यात्रा व्यय	0.10	0.10	मांग प्राप्त न होने के कारण
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.15	0.15	मांग प्राप्त न होने के कारण
06–अन्य भत्ते	0.25	0.25	मांग प्राप्त न होने के कारण
07–मानदेय	0.01	0.01	मांग प्राप्त न होने के कारण
08–कार्यालय व्यय	0.22	0.00	
09–विद्युत देय	1.00	0.98	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
11–लेखन सामग्री और फार्मों की	0.20	0.17	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

उपाय			
21–छात्रवृत्तियाँ और छात्रवेतन	0.15	0.13	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
42–अन्य व्यय		0.00	
43–सामग्री एवं सम्पूर्ति	0.20	0.10	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.20	0.20	मांग प्राप्त न होने के कारण
49–चिकित्सा व्यय	0.50	0.50	मांग प्राप्त न होने के कारण
51–वर्दी	0.02	0.02	मांग प्राप्त न होने के कारण
52– पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	1.90	0.97	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
55–मकान किराया भत्ता	1.50	1.28	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
56–नगर प्रतिकर भत्ता	0.50	0.50	मांग प्राप्त न होने के कारण
58–आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	0.60	0.50	मांग प्राप्त न होने के कारण
योग–0503 :–	**37.62**	**24.86**	
योग–06–	**309.66**	**198.30**	
योग–800	**2136.14**	**884.04**	
योग–80	**2150.94**	**898.84**	
महायोग 2225 :–	**123912.48**	**9606.92**	
2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
01–पुनर्वास			
800–अन्य व्यय			
03–कश्मीर से आये व्यक्तियों को पुनर्वास हेतु सहायता			
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	27.81	14.49	धनराशि रू0 [illegible] लाख की शासन से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण
योग 800 :–	**27.81**	**14.49**	
योग–01 :–	**27.81**	**14.49**	
02–समाज कल्याण			
104–वृद्ध अशक्त, दुर्बल तथा निःसहाय, निराश्रय व्यक्तियों का कल्याण			

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

02-वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवासीय गृह संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता			
20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	5000.00	135.30	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
03-वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवासीय गृह			
01-वेतन	45.00	28.06	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
03-महंगाई भत्ता	8.75	4.04	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
04-यात्रा व्यय	0.10	0.06	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.20	0.20	मांग प्राप्त न होने के कारण
06-अन्य भत्ते	0.20	0.20	मांग प्राप्त न होने के कारण
07-मानदेय	0.01	0.03	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
08-कार्यालय व्यय	0.15	0.07	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
09-विद्युत देय	0.50	0.50	मांग प्राप्त न होने के कारण
10-जलकर/जलप्रभार	0.25	0.25	मांग प्राप्त न होने के कारण
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.15	0.08	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.25	0.24	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	1.00	1.00	मांग प्राप्त न होने के कारण
29-अनुरक्षण	0.30	0.30	मांग प्राप्त न होने के कारण
41-भोजन व्यय	3.00	3.00	मांग प्राप्त न होने के कारण
42-अन्य व्यय	0.10	0.06	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	1.00	0.90	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
45-अवकाश यात्रा व्यय	1.00	1.00	मांग प्राप्त न होने के कारण
46-चिकित्सा व्यय	0.80	0.80	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
51-वर्दी	0.02	0.02	मांग प्राप्त न होने के कारण
52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (एरियर)	1.75	0.16	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
55-मकान किराया भत्ता	2.50	0.39	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

33-नगर प्रतिकर भत्ता	1.00	0.77	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
38-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1.00	1.00	मांग प्राप्त न होने के कारण
योग-03 :-	**66.87**	**43.47**	
04-चिकित्सा का विभाग			
01-वेतन	446.96	145.66	शासनादेश-165/2019/2194/26-3-2019, दि0 28.03.2019 द्वारा लेखाशीर्षक 2225-01-001-04-00 [illegible] अधिष्ठान के मानक मद-42 अन्य व्यय में रू0 22.16 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत हुआ। शासनादेश-159/2019/2190/26-3-2019, दि0 28.03.2019 द्वारा लेखाशीर्षक 2225-02-800-03-00 पूर्णकालिक चिकित्सकों [illegible] अधिष्ठान के मानक मद-01, 03, 03 [illegible] रू0 20.47 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत हुआ।
03-महंगाई भत्ता	87.49	23.27	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
04-यात्रा व्यय	0.50	0.41	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.30	0.30	मांग प्राप्त न होने के कारण
06-अन्य भत्ते	1.00	0.00	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
08-कार्यालय व्यय	1.00	0.70	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
09-विद्युत देय	2.00	1.64	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
10-जलकर/जलप्रभार	0.50	0.50	मांग प्राप्त न होने के कारण
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.50	0.30	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.50	0.50	मांग प्राप्त न होने के कारण
13-टेलीफोन पर व्यय	0.15	0.15	मांग प्राप्त न होने के कारण
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0.50	0.50	मांग प्राप्त न होने के कारण
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	1.65	1.65	मांग प्राप्त न होने के कारण
29-अनुरक्षण	0.50	0.50	मांग प्राप्त न होने के कारण
41-भोजन व्यय	5.00	5.00	मांग प्राप्त न होने के कारण
42-अन्य व्यय	0.15	0.00	मांग प्राप्त न होने के कारण
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	2.00	2.00	मांग प्राप्त न होने के कारण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.50	0.60	मांग प्राप्त न होने के कारण
45-अवकाश यात्रा व्यय	0.50	0.50	मांग प्राप्त न होने के कारण
49-चिकित्सा व्यय	0.72	0.06	मांग प्राप्त न होने के कारण
51-वर्दी	0.08	0.08	मांग प्राप्त न होने के कारण
52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	34.59	16.34	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात् बचत
53-मकान किराया भत्ता	25.00	9.06	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात् बचत
55-नगर प्रतिकर भत्ता	6.72	4.37	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात् बचत
56-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	5.00	5.00	मांग प्राप्त न होने के कारण
योग 04 :-	**608.81**	**220.22**	
05-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम			
0901-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना			
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	117000.00	**0.01**	
0902-राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना			
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	45000.00	**674.80**	शासनादेश-31/2020/37/26-3-2020-100(14)/2020 टी.सी., दि. 24.02.2020 द्वारा अन्य विभाग एवं विभिन्न विभाग के लेखाशीर्षक 2235-02-105-01-01 [illegible] हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना ([illegible]) में रू0 225.00 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत हुआ। शासनादेश-47/2020/647/26-3-2020, दि. 24.02.2020 द्वारा लेखाशीर्षक 2235-02-102-03-02 वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के मानक मद-20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) में रू0 5000.00 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत हुआ।
योग 05 :-	**162000.00**	**674.81**	
06-वरिष्ठ नागरिक के भरण पोषण हेतु अधिकरण/अपीलीय अधिकरण का संचालन			
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	600.00	132.77	आवश्यकतानुसार व्यय के पश्चात् बचत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

योग-104	168273.60	1206.37	
105-नशाबंदी 0001-मुख्यालय			
01- वेतन	26.11	13.27	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
03- महंगाई भत्ता	11.42	0.82	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
04- यात्रा व्यय	1.00	0.90	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.39	0.39	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
06- अन्य भत्ते	0.07	0.04	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
07- मानदेय	0.05	0.00	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
08- कार्यालय व्यय	2.00	1.30	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
11- लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	0.75	0.03	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.75	0.18	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
13- टेलीफोन व्यय	0.50	0.24	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
15- गाड़ियों का अनुरक्षण	1.50	0.47	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0.30	0.09	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
19- विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन	2.50	0.04	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
22- आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता	1.00	0.48	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
42- अन्य व्यय	22.00	0.70	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
44- प्रशिक्षण व्यय	0.50	0.50	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
45- अवकाश यात्रा व्यय	1.00	1.00	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर का क्रय	4.00	0.01	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण	0.75	0.01	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
49- चिकित्सा व्यय	0.80	1.20	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
51- वर्दी व्यय	0.15	0.11	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	8.50	0.28	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
56- मकान किराया भत्ता	7.53	2.17	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
58-नगर प्रतिकर भत्ता	1.06	0.18	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
योग-	139.74	24.42	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
04-मण्डलीय कार्यालय			
01- वेतन	364.91	151.83	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
03- महंगाई भत्ता	54.74	19.84	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत

04– यात्रा व्यय	3.00	0.67	आवश्यकतानुसार व्यय के आकलन हेतु
05– स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2.00	2.00	आवश्यकतानुसार व्यय के आकलन हेतु
06– अन्य भत्ता	0.30	0.00	आवश्यकतानुसार व्यय के आकलन हेतु
07– मानदेय	0.20	0.04	आवश्यकतानुसार व्यय के आकलन हेतु
08– कार्यालय व्यय	2.50	0.29	आवश्यकतानुसार व्यय के आकलन हेतु
09– विद्युत देय	0.00	4.84	आवश्यकतानुसार व्यय के आकलन हेतु
10– जलकर/जल प्रभार	1.00	0.89	आवश्यकतानुसार व्यय के आकलन हेतु
11– लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	2.10	0.09	आवश्यकतानुसार व्यय के आकलन हेतु
12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.10	0.62	आवश्यकतानुसार व्यय के आकलन हेतु
13– टेलीफोन व्यय	2.00	1.17	आवश्यकतानुसार व्यय के आकलन हेतु
15– गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	5.50	1.55	आवश्यकतानुसार व्यय के आकलन हेतु
16– व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1.00	0.62	आवश्यकतानुसार व्यय के आकलन हेतु
17– किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	2.00	0.27	आवश्यकतानुसार व्यय के आकलन हेतु
26– मशीनें सज्जा उपकरण एवं संयंत्र	2.25	1.56	आवश्यकतानुसार व्यय के आकलन हेतु
29– अनुरक्षण	1.50	1.32	आवश्यकतानुसार व्यय के आकलन हेतु
42– अन्य व्यय	21.00	0.35	आवश्यकतानुसार व्यय के आकलन हेतु
44– प्रशिक्षण व्यय	0.55	0.55	आवश्यकतानुसार व्यय के आकलन हेतु
45– अवकाश यात्रा व्यय	0.00	0.00	आवश्यकतानुसार व्यय के आकलन हेतु
47– कम्प्यूटर अनुरक्षण तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	1.00	0.23	आवश्यकतानुसार व्यय के आकलन हेतु
49– चिकित्सा व्यय	5.00	1.92	आवश्यकतानुसार व्यय के आकलन हेतु
51– वर्दी व्यय	0.20	0.19	आवश्यकतानुसार व्यय के आकलन हेतु
52– पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	20.00	6.67	आवश्यकतानुसार व्यय के आकलन हेतु
55– मकान किराया भत्ता	32.67	14.73	आवश्यकतानुसार व्यय के आकलन हेतु
56– नगर प्रतिकर भत्ता	5.21	3.15	आवश्यकतानुसार व्यय के आकलन हेतु
योग	345.73	218.43	आवश्यकतानुसार व्यय के आकलन हेतु
कुल योग	685.47	242.85	
107–स्वैच्छिक संगठनों को सहायता			

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

03-मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं एवं संगठनों को प्राविधिक शिक्षण देने के लिए अनुदान			
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	15.00	7.59	रू0 7.59 लाख की शासन से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण
31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	1295.47	89.29	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
53- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	68.71	3.78	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
योग-03 :-	**1379.18**	**100.66**	
05-समाज कल्याण के विभिन्न कार्यों में लगे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता			
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	1.00	1.00	रू0 1.00 लाख की शासन से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण
योग-ख :-	**1380.18**	**101.66**	
200-अन्य कार्यक्रम			
03-आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त वर्गों (सामान्य) के गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के पूर्व दशम (कक्षा 1 से 10 तक) छात्रों को छात्रवृत्ति			
21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	2500.000	0.00	
06-सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे परिवारों के युवक/ युवतियों के लिए पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण			
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	108.00	0.00	शा0सं0-27/2020/60/26-3-2020, दि0 14.02.2020 द्वारा लेखाशीर्षक 2235-02-200-11 दिल्ली स्थित संस्थानों आई.ए.एस./पी.सी.एस. परीक्षा हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण के मानक मद-20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) की बचत से धनराशि रू0 40.96 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त हुआ।
08-सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता			
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	8250.000	1479.40	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

07-आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्गों (सामान्य) के निर्धन अभिभावकों के आश्रित छात्रों को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति			
21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	82500.000	236.87	शासनादेश संख्या-137/26-3-2020 दिनांक 24.03.2020 द्वारा योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि रू0 16737.00 लाख को वित्त विभाग के निर्देशानुसार व पिछड़ा वर्ग विभाग की पत्रावली संख्या-1(36)/2020 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति के क्रम में धनराशि रू0 16737.00 लाख को पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी, जिसके क्रम में शासनादेश संख्या-1918/26-3-2020 दिनांक 24.03.2020 द्वारा धनराशि रू0 16737.00 लाख को निदेशक पिछड़ा वर्ग के निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की गयी किन्तु शासनादेश में लेखाशीर्षक का उल्लेख न होने के कारण पिछड़ा वर्ग विभाग पर नियंत्रित अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्षक 2225-03-277-07-03-21 में व्यय पुस्तांकित न होकर, समाज कल्याण विभाग पर नियंत्रित मूल अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 2225-02-… -07-03-21 में व्यय पुस्तांकित किया गया है तथा योजनान्तर्गत धनराशि रू0 236.81 लाख की बेनीफिशरी एकाउन्ट्स में देर से प्राप्त होने के कारण कोषागार में बिल नहीं लग पाये, जिसके कारण धनराशि रू0 236.81 लाख की बचत हुई।
08-आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण			
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	55.00	0.55	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
09-समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का कम्प्यूटरीकरण			
02-मजदूरी	20.00	15.05	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	16.00	0.00	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
13-टेलीफोन पर व्यय	6.00	6.00	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
42-अन्य व्यय	42.50	0.08	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	10.00	6.84	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
50-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	200.00	0.20	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

योग-09	**294.50**	**28.17**	
10-मानवाधिकार हनन के प्रकरणों में आर्थिक सहायता			
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	50.00	50.00	रू0 50.00 लाख की शासन से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण
11-दिल्ली स्थित संस्थाओं में आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 परीक्षा हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण			
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	150.00	16.01	शासनादेश-27/2020/60/26-3-2020 दि0 14.02.2020 द्वारा लेखाशीर्षक 2235-02-200-05 सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के युवक/युवतियों के लिए परीक्षा पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण के मानक मद-20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) की बचत में धनराशि रू0 83.33 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से लौटाया गया।
12-मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना			
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	25000.00	475.32	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
योग-200 :-	**116557.50**	**2285.45**	
800-अन्य व्यय			
03-राजकीय संस्थानों के पूर्णकालिक चिकित्सकों की व्यवस्था			
01-वेतन	23.81	0.81	शासनादेश-156/2019/2110/26-3-2019 दि0 26.06.2019 द्वारा लेखाशीर्षक 2235-02-104-04-06 [illegible] निवास अधिष्ठान के मानक मद-01-वेतन की बचत से पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त हुआ।
03-महंगाई भत्ता	3.54	0.00	शासनादेश-156/2019/2110/26-3-2019 दि0 26.06.2019 द्वारा लेखाशीर्षक 2235-02-104-04-06 [illegible] निवास अधिष्ठान के मानक मद-01-वेतन की बचत से पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त हुआ।
06-अन्य भत्ते	0.25	0.25	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
07-मानदेय	0.01	0.01	मांग प्राप्त न होने के कारण
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.30	0.00	मांग प्राप्त न होने के कारण
39-औषधि तथा रसायन	0.30	0.10	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	0.15	0.15	मांग प्राप्त न होने के कारण
52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	1.82	1.17	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
55-मकान किराया भत्ता	1.50	0.00	शासनादेश-151/2019/2163/26-2-2019, दि0 25.06.2019 द्वारा लेखाशीर्षक 2225-02-104-04-02 विमुक्ति निराश्रित अधिष्ठान के मानक मद-01-वेतन की मद में पुनर्विनियोग के फलस्वरूप बचत हुआ।
56-नगर प्रतिकर भत्ता	0.50	0.00	शासनादेश-151/2019/2163/26-2-2019, दि0 25.06.2019 द्वारा लेखाशीर्षक 2225-02-104-04-02 विमुक्ति निराश्रित अधिष्ठान के मानक मद-01-वेतन की मद में पुनर्विनियोग के फलस्वरूप बचत हुआ।
57-प्रोत्साहन बन्दी भत्ता	1.00	0.00	
योग-03 :-	**32.68**	**2.49**	
योग-800	**32.68**	**2.49**	
योग-02	**288544.04**	**3596.97**	
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
102-सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन			
03-वृद्धावस्था/किसान पेंशन			
0301-अधिष्ठान			
01-वेतन	329.100	118.45	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
03-महंगाई भत्ता	49.37	12.44	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
04-यात्रा व्यय	2.75	2.46	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50	0.50	मांग प्राप्त न होने के कारण
06-अन्य भत्ते	1.00	0.61	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
07-मानदेय	0.20	0.20	मांग प्राप्त न होने के कारण
08-कार्यालय व्यय	1.65	0.64	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
09-विद्युत देय	2.00	2.00	मांग प्राप्त न होने के कारण
10-जलकर/जलप्रभार	0.50	0.50	मांग प्राप्त न होने के कारण
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1.00	0.50	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.50	1.30	आवश्यकतानुसार व्यय के फलस्वरूप बचत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

49-चिकित्सा व्यय	3.30	1.86	आवश्यकतानुसार व्यय में [illegible]
51-वर्दी	0.15	0.15	[illegible] न होने के कारण
52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	22.37	5.52	आवश्यकतानुसार व्यय में [illegible]
55-मकान किराया भत्ता	21.00	6.53	आवश्यकतानुसार व्यय में [illegible]
56-नगर प्रतिकर भत्ता	7.00	5.48	आवश्यकतानुसार व्यय में [illegible]
58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1.00	1.00	[illegible] न होने के कारण
योग-01 :-	**444.39**	**161.23**	
0302-वृद्धावस्था/किसान पेंशन			
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	67500.00	0.00	[illegible]-47/2020/847/26-3-202 0, दि0 24.03.2020 द्वारा [illegible] 2235-02-104-03-02 राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के मानक मद-20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) की बचत में [illegible] तथा पुनर्विनियोग के माध्यम से [illegible]
योग-03 :-	**67944.39**	**161.23**	
योग-60	**67944.39**	**161.23**	
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	**357201.71**	**4014.54**	
योग 2013 [illegible]	**0.35**	**0.35**	
2225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	**123912.48**	**9686.92**	
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	**357201.71**	**4014.54**	
महायोग(2013+2225+2235)	**481800.01**	**13924.66**	

(रू0-एक अरब उन्तालीस करोड़ चौबीस लाख छाछठ हजार मात्र)

31/03/2020

(सतीश कुमार)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।